06

वाणिज्यिक खनन हेतु कोयला ब्लॉकों की नीलामी

1. आवंटन की स्थिति (सीएमएसपी अधिनियम, 2015 के अंतर्गत आवंटित खानें)

वर्ष 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 204 कोयला खानों का आवंटन रद्द कर दिया गया था और इन खानों को कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के उपबंधों के तहत पुनः आवंटित किया जाना है। नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के उपबंधों के तहत अब तक 123 कोयला खानों और एमएमडीआर अधिनियम के तहत 34 खानों का आवंटन किया जा चुका है। इसके अलावा, कोयला मंत्रालय ने एमएमडीआर अधिनियम के उपबंधों के तहत 6 कोयला खानें भी आबंटित की हैं। उपर्युक्त 163 कोयला ब्लॉकों का ब्यौरा निम्नानुसार है –

कोयला खानों की स्थिति निम्नानुसार हैः

सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत आवंटित कोयला खानों की स्थिति								
क्र. सं.	आवंटन की पद्धति	अंत्य उपयोग 'विद्युत'	अंत्य उपयोग "एनआरएस"	कोयले की बिक्री	कुल	खान खोलने की अनुमति वाली खानें	गैर–प्रचालनरत खानें	उत्पादन के अंतर्गत खानें
1	नीलामी	5	19	46	70	25	45	21
2	आवंटन	38	2	13	53	31	22	29
कुल		**43**	**21**	**59**	**123**	**56**	**67**	**50**
एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत आवंटित कोयला खानों की स्थिति								
क्र. सं.	आवंटन की पद्धति	अंत्य उपयोग 'विद्युत'	अंत्य उपयोग "एनआरएस"	कोयले की बिक्री	कुल	खान खोलने की अनुमति वाली खानें	गैर–प्रचालनरत खानें	उत्पादन के अंतर्गत खानें
1	नीलामी	0	0	34	34	0	34	0
2	आवंटन	5	0	1	6	0	6	0
कुल		**5**	**0**	**35**	**40**	**0**	**40**	**0**
कुल योग		**48**	**21**	**94**	**163**	**56**	**107**	**50**

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आबंटित 157 कोयला खानों में से 56 कोयला खानों ने खान खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली है तथा 50 कोयला खानों से उत्पादन हो रहा है।

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आवंटित कोयला ब्लॉकों से दिसंबर, 2023 तक सृजित कुल राजस्व 18154.79 करोड़ रुपये है जिसमें अग्रिम राशि और मासिक भुगतान (रॉयल्टी, कर, उपकर आदि को छोड़कर) शामिल है।

वर्ष 2015–16 से मार्च 2023 तक आवंटित कैप्टिव/वाणिज्यिक ब्लॉकों से कुल कोयला उत्पादन 472.96 मि.ट. है और वित्त वर्ष 2023–24 में दिसंबर, 2023 तक कोयला उत्पादन 98.08 मि.ट. है।

2. नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एमएमडीआर खानों का आवंटन

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के कार्यालय द्वारा एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत कुल 34 कोयला खानों की सफलतापूर्वक नीलामी हो गई है और इन्हें निहित किया गया है।

3. वाणिज्यिक खनन

वर्ष 2014 में शुरू की गई नीलामी.आधारित प्रणाली ने निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी, तथापि, यह अपने अन्तय उपयोग संयंत्रों में कैप्टिव उपयोग तक सीमित थी। इस क्षेत्र को 2020 में निजी कंपनियों के माध्यम से वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए खोल दिया गया है और वाणिज्यिक खनन की पहली सफल नीलामी का शुभारंभ माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा 18.06.2020 को किया गया और यह नीलामी 19 कोयला खानों के आवंटन के साथ संपन्न हुई।

वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक की नीलामी दो चरणों वाली ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है, जिसमें पहले चरण में तकनीकी जांच और प्रतिस्पर्धी प्रारंभिक मूल्य ऑफर प्रस्तुत करना तथा दूसरे और अंतिम चरण में बेहतर मूल्य ऑफर प्राप्त किया जाना शामिल है।

वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी सीमित क्षेत्रों, उपयोग और मूल्य की पूर्व की प्रणाली से पूरी तरह अलग है। अब, इस तरह के कोई प्रतिबंध नहीं हैं। नीलामियों के नियम और शर्तें बहुत उदार हैं, जो नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देती हैं। अग्रिम राशि में कमी, रॉयल्टी के लिए अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खानों के प्रचालन के लिए लचीलेपन को प्रोत्साहित करने हेतु उदार दक्षता मानदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से 100% एफडीआई और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के आधार पर उचित वित्तीय शर्तों तथा राजस्व साझाकरण मॉडल की अनुमति है।

कोयला/लिग्नाइट कोयला खानों की नीलामी के अब तक 7 दौर आयोजित किए जा चुके हैं जिनमें 91 कोयला खानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है, जिनका विवरण निम्नानुसार है: –

क्र. सं	राज्य	खानों की संख्या	पूर्ण रूप से अन्वेषित खानों की संख्या	रॉयल्टी एवं कर (करोड़ रुपए)	राजस्व शेयर (करोड़ रुपए)	खान की पीआरसी के आधार पर उत्पन्न वार्षिक राजस्व की राशि (करोड़ रुपए)*	पीआरसी का योग (एमटीपीए)	पूंजी निवेश की राशि (करोड़ रु.)*	कुल रोजगार (प्रत्यक्ष. अप्रत्यक्ष)*
1	छत्तीसगढ़	15	10	4603.04	3606.46	8209.50	45.81	6871.50	61935
2	झारखंड	23	18	4164.48	1740.92	5905.39	42.40	6360.00	57325
3	मध्य प्रदेश	22	14	2972.72	1869.47	4842.19	24.73	3709.50	33435
4	महाराष्ट्र	8	6	438.10	189.01	627.11	4.22	633.00	5705
5	ओडिशा	18	13	8771.06	4405.93	13177.00	98.63	14794.50	133348
6	अरुणाचल प्रदेश	1	1	52.75	120.10	172.85	0.20	30.00	270
7	असम	2	2	4.25	34.19	38.44	0.02	3.60	20
8	पश्चिम बंगाल	2	2	284.85	86.33	371.18	4.89	733.50	6611
	कुल योग	**91**	**66**	**21291.24**	**12052.42**	**33343.67**	**220.90**	**33135.60**	**298650**

18 जून, 2020 से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए कोयला क्षेत्र खोला गया और समान अवसर उपलब्ध कराया गया। तब से, नीलामी के सात दौर सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और 91 खानों की नीलामी की गई है। इन सफलतापूर्वक नीलाम की गई 91 कोयला खानों की संचयी पीआरसी 222 एमटीपीए है और 33,086 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व सृजित होने की आशा है जिसकी गणना पीआरसी के आधार पर की गई है तथा 3,00,137 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने की आशा है।

वाणिज्यिक कोयला खानों की नीलामी की अब तक की प्रगति:

दौर	सफलतापूर्वक आवंटित खानें
पहला	19
दूसरा	11
तीसरा	13
चौथा	7
पांचवां	10
छठा	25
सातवां	6
कुल	**91**

वर्तमान स्थिति:

वाणिज्यिक कोयला खानों की नीलामी का आठवां दौर 15 नवंबर, 2023 को शुरू किया गया था, जहां 39 कोयला खानों की पेशकश की गई है। वाणिज्यिक कोयला खानों की नीलामी का नौवां दौर 20 दिसंबर, 2023 को शुरू किया गया था, जहां 31 कोयला खानों की पेशकश की गई है।